

समक्ष:-रजिस्ट्रार जनरल एन जी टी प्रिन्सिपल बेंच फरीदकोट हाउस कापरनिकस मार्ग नई दिल्ली



मूल प्रार्थना पत्र नं० 433/2022

तारीख पेशी 05.09.2022

पाटेश्वरी प्रसाद सिंह - अपीलान्त प्रति

स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश आदि - रेशपान्डेन्ट

प्रार्थना पत्र वास्ते जल्द सुनवाई

श्रीमान जी,

प्रार्थी का निवेदन निम्न है

धारा 1-यह कि ट्रिबनल आदेश दिनांक 31.05.2022 के पैरा 2 में वर्णित आदेश के अनुपालन में आज तक ज्वाइंट कमेटी रीजनल आफिस एम ओ ई एफ लखनऊ स्टेट पी सी बी मिनिस्ट्री आफ जल शक्ति गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया, स्टेट आफ उत्तर प्रदेश, डिसट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बलरामपुर के मध्य गठित नही हुआ न ही चार सप्ताह के अन्दर नोडल एजेन्सी स्टेट पी सी बी द्वारा कम्प्लायन्स किया गया।

धारा2- यह कि आदेश दिनांक 31.05.2022 के पैरा 3 में वर्णित आदेश का अनुपालन आज तक रेशपान्डेन्ट द्वारा नही किया गया।

धारा 3-यह कि आदेश दिनांक 31.05.2022 पैरा 4 में वर्णित आदेश का अनुपालन जिला मजिस्ट्रेट बलरामपुर द्वारा नही किया गया।

धारा 4- यह कि मौके पर गैर कानूनी निर्माण कार्य चालू है

अ) सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट स्थापित सुवांअ नदी के निर्माण के लिए अनुमति पालूशन कन्ट्रोल बोर्ड यू० पी० से नही ली गयी।

ब) वाटर एक्ट 1974 और 1981 का वायलेसन निर्माण कार्य में हुआ है।

1020/R4  
15/09/22

Ld. R.G.  
14-07-2022  
com. (2)

OA 433/2022  
Rd Pet up for  
2  
14/9  
m Mary

272/22/Judl.  
15/9/22

Prasad Dharma  
Advocate  
15/9/22

3


-2-

- स) इन्वायरमेन्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और गाइडलाइन्स ऑफ शालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल 2006 का वायलेशन निर्माण कार्य में हुआ है।
- द) यह कि एस टी पी का निर्माण गैर कानूनी एवं एन जी टी आदेश दिनांक 31.05.2022 के निर्देशों के विरुद्ध हो रहा है।

अतः प्रार्थना है कि जल्द सुनवाई करते हुए एन जी टी आदेश दिनांक 31.05.2022 रेशपान्डेन्ट द्वारा न मानने एवं निर्माण चालू रखने के लिए अर्थ दण्ड से दण्डित किये जाने की कृपाज्ञा प्रदान की लाये महान कृपा होगी।

दिनांक 11.7.22

प्रार्थी/अपीलान्त




पाटेश्वरी प्रसाद सिंह

द्वारा जनार्दन प्रसाद दूबे (एड0) बलरामपुर

पंजी0 करण सं01460/78

सी ओ पी नं0 030015/2018



Jnanardan Prasad Dubey  
Adm. Case  
Reg. No. 115/2022  
Balarampur